सं0सं0–1/विविध–11/2019–312(1)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राधेश्याम साह,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

द्वारा– आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक– 7 / 3 /2019

विषयः– राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, सीतामढ़ी के निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना से प्राप्त रु0 562.48 करोड़ के प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2018–19 में कुल रु0 515,00,00,000/– (रुपये पाँच सौ पन्द्रह करोड़) मात्र की लागत पर स्कीम (योजना) की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, सीतामढ़ी के निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना से प्राप्त रु0 562.48 करोड़ के प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2018–19 में कुल रु0 515,00,00,000/– (रुपये पाँच सौ पन्द्रह करोड़) मात्र की लागत पर स्कीम (योजना) की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है।

2– "विकसित बिहार के सात निश्चय" अंतर्गत राज्य में 05 (पाँच) नये मुख्यमंत्री निश्चय चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना (बेगूसराय, मधुबनी, सीतामढ़ी, महुआ (वैशाली), भोजपुर (आरा)) हेतु विभागीय राज्यादेश सं0–567(1) दिनांक–02.05.2016 द्वारा प्रति चिकित्सा महाविद्यालय रु0 400.00 करोड़ (रुपये चार सौ करोड़) की अनुमानित लागत दर से रु0 2000.00 करोड़ (रुपये दो हजार करोड़) की अनुमानित लागत पर योजना की स्वीकृति प्राप्त है।

3– केन्द्र प्रायोजित योजना "जिला/रेफरल अस्पताल का चिकित्सा महाविद्यालय में उत्क्रमण" फेज–2 के अन्तर्गत राज्य के झंझारपुर (मधुबनी), सीतामढ़ी, बक्सर, जमुई एवं सीवान का चयन नये चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल की स्थापना के लिए किया गया है। इस योजनान्तर्गत प्रति चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के निर्माण के लिए रु0 250.00 करोड़ (रुपये दो सौ पचास करोड़) की राशि प्राक्कलित किया गया है, जिसमें केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात 60:40 है अर्थात् इस योजना में केन्द्रांश की राशि रु0 150.00 करोड़ (रुपये एक सौ पचास करोड़) एवं राज्यांश की राशि रु0 100.00 करोड़ (रुपये एक सौ करोड़) होगी। अर्थात् भारत सरकार द्वारा इस योजनान्तर्गत सीतामढ़ी में चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के निर्माण के लिए केन्द्रांश के रूप में मात्र रु0 150.00 करोड़ (रुपये एक सौ पचास करोड़) की राशि उपलब्ध कराया जायेगा। राज्यांश (रु0 100.00 करोड़) सहित शेष प्राक्कलित राशि (अर्थात् रु0 100.00 करोड़ + रु0 265.00 करोड़ = कुल रु0 365.00 करोड़) का वहन राज्य सरकार को करना होगा।

4– इस स्कीम (योजना) हेतु सीतामढ़ी जिलान्तर्गत अंचल–डुमरा, मौजा–मुरादपुर, थाना नं0–328, खाता सं0–419, खेसरा सं0–2381 (अंश), एवं 2390 क्रमशः रकबा–25.00 एकड़ गैरमजरूआ बिहार सरकार कृषि फार्म की भूमि स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निःशुल्क अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

क्रमशः

5– उक्त कार्य बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना द्वारा कराया जायेगा। वे निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करायेंगे:–

(क) बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना निविदा की शर्तों में सुयोग्य एवं अनुभवी एजेंसी के चयन की सुस्पष्ट प्रक्रिया अंकित करेंगे।

(ख) कार्यादेश निर्गत करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि यह कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत नहीं कराया जा रहा है।

(ग) कार्य बिहार वित्त नियमावली, 2005, पी0डब्ल्यू0डी0 कोड एवं अन्य सरकारी अनुदेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(घ) कार्य को निर्धारित अवधि में वांछित गुणवत्ता के साथ सम्पन्न कराने की जवाबदेही बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना की होगी।

(ङ) योजना के कार्यान्वयन में विलम्ब के कारण अगर प्राक्कलित राशि के पुनरीक्षण की आवश्यकता पड़ी तो इसके लिए बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना के संबंधित पदाधिकारी जिम्मेवार माने जायेंगे।

(च) बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना द्वारा मासिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा जब तक कार्य पूर्ण नहीं हो जाए।

6– यह राज्यादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561/वि0(2), दिनांक–17.04.98, 2880/वि0(2), दिनांक–06.05.06, 2938/वि0(2), दिनांक–08.04.08 एवं 3758/वि0, दिनांक–31.05.2017 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

7– इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

8– केन्द्रांश की राशि के व्यय का वहन माँग संख्या–20, मुख्य शीर्ष–4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय–03–चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–051–निर्माण–0201–स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन, पी0एफ0एम0एस0 कोड--9157, विपत्र कोड–20-4210030510201 अन्तर्गत योजना आय–व्ययक में 0201.53.01 मुख्य निर्माण कार्य ईकाई में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

9– राज्यांश की राशि के व्यय का वहन माँग संख्या–20, मुख्य शीर्ष–4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय–03–चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–051–निर्माण–0301–स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन, पी0एफ0एम0एस0 कोड–9157, विपत्र कोड–20-4210030510301 अन्तर्गत योजना आय–व्ययक में 0301.53.01 मुख्य निर्माण कार्य ईकाई में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

10– इस योजना हेतु आवश्यक अतिरिक्त राशि के व्यय का वहन राज्य स्कीम मद के अंतर्गत माँग संख्या–20, मुख्य शीर्ष–4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष–03–चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान, लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप–शीर्ष–0101–मेडिकल कॉलेजों हेतु, विपत्र कोड–20–4210037890101 अंतर्गत विषय शीर्ष 53–मुख्य निर्माण कार्य के 0101.53.01 मुख्य निर्माण कार्य ईकाई में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

11– अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फ़ॉर्म–46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नहीं बल्कि खाता अंतरण के माध्यम से बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना को उपलब्ध करायेंगे, जो उक्त राशि को पी0एल0 एकाउन्ट सं0–PLA-244, विपत्र कोड–K8448001110002 में जमा कर कार्य को विधिवत् संपादित करायेंगे। राशि की निकासी कार्य की प्रगति को देखते हुए आवश्यकतानुसार की जाएगी।

क्रमशः

12– बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना राशि का त्रैमासिक लेखा सभी वॉउचर्स (Vouchers) सहित महालेखाकार, बिहार को भेजते हुए उसकी एक प्रति अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को भी उपलब्ध करायेंगे।

13– स्कीम (योजना) की स्वीकृति मंत्रिपरिषद् की दिनांक–25.02.2019 की बैठक में मद संख्या–19 पर प्राप्त है।

14– प्रस्ताव एवं प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सं0सं0–1/विविध–11/2019 के पृष्ठ–15/टि0 पर प्राप्त है।

15– राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

16– यह मात्र राज्यादेश है, आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

विश्वासभाजन

(राधेश्याम साह)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांकः–1/विविध–11/2019– 312(1) /स्वा0, पटना, दिनांक– 7/3/2019

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत/जिलाधिकारी, सीतामढ़ी/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/विशेष सचिव–सह–आंतरिक वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा–1), स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–1, 4, 6, 17, स्वास्थ्य विभाग/लेखा शाखा (दो प्रतियों में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना एव कार्यवाह सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव